भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1793

13 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

खाद्यान्नों की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट

1793. श्रीमती रमा देवी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वितरित खाद्यान्न की गुणवत्ता के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पीडीएस के माध्यम से केवल अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न का वितरण और मध्याह्न-भोजन योजनाओं के अंतर्गत उससे भोजन तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जवाबदेही के तहत प्रचालित होती है। केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के विनिर्दिष्ट डिपुओं तक खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्नों के अंतरा-राज्यीय आवंटन और वितरण, पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, राशन कार्ड जारी करना और उचित दर की दुकानों (एफपीएस) आदि का पर्यवेक्षण और निगरानी आदि की प्रचालनात्मक जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की हैं। खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य संरक्षा विभागों की मशीनरी द्वारा खाद्य उत्पादों का नियमित पर्यवेक्षण, मॉनिटरिंग, निरीक्षण किया जा रहा है और यादृच्छिक नमूने लिए जा रहे हैं।

...2/-

(ग) और (घ): जी, हां। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और एफसीआई को निम्नलिखित अनुदेश जारी किए हैं:

- टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कीट संक्रमण से मुक्त और खाद्य संरक्षा मानकों के अनुरूप खाद्यान्न जारी किए जाने हैं।
- एफसीआई गोदामों से उठान से पहले स्टॉक का निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एफसीआई गोदामों से खाद्यान्न उठाने से पहले निरीक्षण के लिए निरीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारियों को नियुक्त नहीं किया जाए।
- एफसीआई और राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से टीपीडीएस के तहत जारी किए जाने वाले खाद्यान्न के स्टॉक से खाद्यान्न के नमूने एकत्र और सील किए जाने हैं।
- एफसीआई गोदामों से खाद्यान्न स्टॉक की डिलीवरी लेने के लिए राज्य सरकार से न्यूनतम निरीक्षक स्तर के एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाना है।
- खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वितरण श्रृंखला के विभिन्न चरणों में परिवहन और भंडारण के दौरान, खाद्यान्न अपेक्षित गुणवत्ता विनिर्देशों को बनाए रखे।
- राज्य सरकार, जहां विकेंद्रीकृत खरीद चल रही है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जारी खाद्यान्न की गुणवत्ता भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के तहत वांछित मानकों को पूरा करे।

*****